संख्या-427/2018/385/22-2-2018-17(121)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 14 मई, 2018***

विषय:- आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 सलीम पुत्र श्री मो0 शाहिद निवासी जनपद-लखनऊ की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-8624/प्रोबेशन-3/फार्म-ए (एम-06.09.2016) दिनांक 08.03.2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 सलीम पुत्र श्री मो0 शाहिद, जो-म0नं0 538ख/32बी, खदरा शिवनगर कुम्हारन टोला, थाना-हसनगंज, जनपद-लखनऊ का रहने वाला है। बन्दी अस्थायी ड्राईवर के पद पर कार्यरत था। दिनांक 12.07.2001 को सायं 06:00 बजे श्री वी0के0 जैन, मुख्य अभियन्ता, दूरसंचार (विद्युत) को कार से कार्यालय से आवास लाते समय सेक्टर डी के पास कार के दरवाजे बन्द कर पेट्रोल छिडक कर आग लगाकर मुख्य अभियन्ता श्री वी0के0 जैन की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-03/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302, 435, 427 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-3), लखनऊ के आदेश दिनांक 04.06.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.07.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 00 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, जेल मे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा रंजिश में कार के दरवाजे बन्द कर पेट्रोल छिडक कर आग लगाकर मुख्य अभियन्ता, दूरसंचार, श्री वी0के0 जैन की निर्दयता पूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 42 वर्ष 07 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 सलीम पुत्र श्री मो0 शाहिद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी मो0 सलीम (बन्दी संख्या-14954) पुत्र श्री मो0 शाहिद निवासी जनपद-लखनऊ के फार्म-ए पर यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के प्राविधानों के अन्तर्गत सम्यक् विचारोपरान्त उसे मुक्ति का पात्र नहीं पाया गया है। अतएव उक्त बन्दी की लाइसेन्स पर मुक्ति शासन द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। तदनुसार उसके फार्म-ए पर शासन के आदेश अंकित करके एतद्द्वारा वापस लौटाया जा रहा है। कृपया प्राप्ति स्वीकार करते हुए शासन के निर्णय से बन्दी को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नकः यथोपरि।

(बन्दी का फार्म-ए एवं समस्त पत्रादि सहित)

भवदीय,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

संख्या-427/2018/385(1)/22-2-2018 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, आदर्श कारागार, लखनऊ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश सख्या-427/2018/385/22-2-2018-17(121)/2018

दिनांक 14 मई, 2018 का संलग्नक

<u>सरकार के आदेश</u>

आदर्श कारागार, लखनऊ में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी मो0 सलीम पुत्र श्री मो0 शाहिद, जो-म0नं0 538ख/32बी, खदरा शिवनगर कुम्हारन टोला, थाना-हसनगंज, जनपद-लखनऊ का रहने वाला है। बन्दी अस्थायी ड्राईवर के पद पर कार्यरत था। दिनांक 12.07.2001 को सायं 06:00 बजे श्री वी0के0 जैन, मुख्य अभियन्ता, दूरसंचार (विद्युत) को कार से कार्यालय से आवास लाते समय सेक्टर डी के पास कार के दरवाजे बन्द कर पेट्रोल छिडक कर आग लगाकर मुख्य अभियन्ता श्री वी0के0 जैन की हत्या कर दी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-03/2002 में भा0द0वि0 की धारा-302, 435, 427 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश (एफ0टी0सी0-3), लखनऊ के आदेश दिनांक 04.06.2003 द्वारा आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 22.07.2015 तक 14 वर्ष 00 माह 10 दिन की अपरिहार सजा तथा 18 वर्ष 00 माह 12 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला प्रोबेशन अधिकारी, पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बन्दी के भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, अपराध करने में अशक्त न होने, जेल मे निरूद्ध रखने का सार्थक प्रयोजन होने की आख्या अंकित करते हुए बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। प्रोबेशन बोर्ड की आख्या में यह उल्लेख किया गया है कि बन्दी द्वारा रंजिश में कार के दरवाजे बन्द कर पेट्रोल छिडक कर आग लगाकर मुख्य अभियन्ता, दूरसंचार, श्री वी0के0 जैन की निर्दयता पूर्वक हत्या करने का जघन्य अपराध कारित किया गया है तथा इस तरह के अपराधियों की समयपूर्व रिहाई से समाज में न्यायिक प्रणाली के बारे में विपरीत संदेश जायेगा। बन्दी की आयु 42 वर्ष 07 माह लगभग है तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होने के साथ ही पुनः अपराध करने में अशक्त नहीं है। इसकी पुष्टि जिला प्रोबेशन अधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, लखनऊ द्वारा अतिरिक्त 05 बिन्दुओं की आख्या में की गयी है। इस प्रकार बन्दी द्वारा किये गये अपराध की गम्भीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत यू0पी0 प्रिजनर्स रिलीज आंन प्रोबेशन एक्ट, 1938 की धारा-2 के अन्तर्गत सिद्धदोष बन्दी मो0 सलीम पुत्र श्री मो0 शाहिद को फार्म-ए/लाईसेंस के आधार पर रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है। उक्त के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा बन्दी की फार्म-ए के आधार पर समयपूर्व रिहाई अस्वीकार किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in